न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीणा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.07.2022	17.11.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री दुल्हाना मल पुत्र स्व. श्री विशन दास एफ.बी.ओ. मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड कैम्पस मालपुरा जिला टोंक निवासी जनता कॉलोनी बस स्टैण्ड के पीछे मालपुरा जिला टोंक राज.
2—श्री विजय कुमार रामचन्दानी पुत्र श्री गोपाल दास रामचन्दानी प्रोपरायटर मैसर्स विजय गृह उद्योग विजय भवन रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज. निवासी सिंधी धर्मशाला के पास किशनगढ़ जिला अजमेर

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण स्वयं।

:—निर्णय—: दिनांक 17.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2022 को समय दोपहर 12:21 पीएम पर मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड कैम्पस मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री दुल्हाना मल पुत्र स्व. श्री विशन दास मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दुल्हाना मल ने स्वयं को मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड कैम्पस मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** दुकान की रैक में 390—390 ग्राम के 42 नग पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दुल्हाना मल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री दुल्हाना मल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** जिसके बैच नम्बर बीओओए 021 एवं पैंकिंग की दिनांक जनवरी 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 390—390

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम के 8 नग पॉली पैक कुल 3120 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** 390–390 ग्राम के 8 नग पॉली पैक को दो–दो नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3103 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री दुल्हाना मल विक्रेता पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड कैम्पस मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स विजय गृह उद्योग विजय भवन रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर का बिल नं. 585 दिनांक 21.02.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स विजय गृह उद्योग विजय भवन रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/815 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1040/एक्ट/2022/1086 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(A)(i)a, 3(i)(zf)(B)(ii) & 3(i)(zf)(A)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगणों को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन रामचन्दानीस स्वागत ब्राण्ड (Namkeen Ramchandani's Swagat Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री दुल्हाना मल पुत्र स्व. श्री विशन दास पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) व अप्रार्थी सं. 2 श्री विजय कुमार रामचन्दानी पुत्र श्री गोपाल दास रामचन्दानी पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(शिव चरण मीणा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0